

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/ 6675

दिनांक:

31/08/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरु,

दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली,

नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

विषय:— पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव, 2020 — प्रारम्भिक तैयारियां।

महोदय,

आयोग द्वारा माह जनवरी एवं मार्च, 2020 में राज्य सरकार द्वारा किए गए फिर से परिसीमन से अप्रभावित 7463 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। नवीन परिसीमन से प्रभावित 3859 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल माह जनवरी, 2020 में ही समाप्त हो चुका है। उक्त 3859 ग्राम पंचायतों में से अलवर जिले 6 ग्राम पंचायतें (लेकडी, कफनवाड़ा, लीली, मौजपुर, हसनपुर एवं लक्ष्मणगढ़), भरतपुर जिले की 1 ग्राम पंचायत (सीकरी), दौसा जिले की 1 ग्राम पंचायत (मंडावरी), एवं सवाईमाधोपुर जिले की 2 ग्राम पंचायत (बामनवास पट्टीकला एवं बामनवास खुर्द) कुल 10 ग्राम पंचायतें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्रों में सम्मिलित हो गई है। अतः इन 10 ग्राम पंचायतों के पृथक होने से अब इनकी संख्या 3849 रह गई है। इसके अतिरिक्त जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाड का कार्यकाल भी माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो गया है। अतः उक्तानुसार कुल 3850 ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंच के आम चुनाव कराए जाने हैं। इन आम चुनाव की घोषणा से पूर्व चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर प्रारंभिक तैयारियां यथासमय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर पूर्ण की जानी हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश तत्समय आपको ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं, और इन महत्वपूर्ण निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। आम चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां आप द्वारा समय पर सम्पन्न करवायी जानी आवश्यक है। अतः चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं पर चुनाव संबंधी तैयारियां यथासमय पूर्ण कर लेवे।

1. **निर्वाचक नामावली** — आयोग के पत्र क्रमांक 4651 दिनांक 04.11.2019 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किए गए नवीन परिसीमन से अप्रभावित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार कराई गई थी। इन निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.01.2020 को किया गया था। इसके अतिरिक्त नवीन परिसीमन से प्रभावित शेष रही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोग के पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा जारी किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23.03.2020 को होना था, किन्तु आयोग के पत्र दिनांक 22.03.2020 के द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात् आयोग के पत्रांक 3886 दिनांक 01.06.2020 के अनुसार उक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 10.06.2020 को किया जा चुका है।



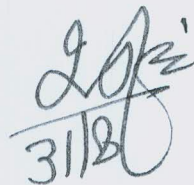
मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। इस हेतु आयोग के पत्रांक 4500 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा भी निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। अतः मतदाता सूचियों में जो कमियाँ रह गई हैं, उन्हें उक्तानुसार सही करवाया जावे।

2. **मतदान केन्द्रों का विनिश्चय** — राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 1586/10.05.2019 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की हुई है, किन्तु कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 5994 दिनांक 25.08.2020 उक्त सीमा को अधिकतम 900 मतदाताओं तक सीमित कर दिया गया है। अतः उक्त निर्देशों के अनुरूप अब किसी मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 900 से अधिक नहीं होगी।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का एक बार पुनः भौतिक सत्यापन करा लेवें। यदि किसी मतदान केन्द्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो आयोग के उक्त पत्र दिनांक 10.05.2019 में अंकित निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आयोग को भिजवाएं।

3. **रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति** — राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23(2) के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत वृत्त के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी तथा नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। कृपया उक्तानुसार नियुक्तियाँ भी शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
4. **मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण** — आपके जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना तुरन्त एकत्र करवा मतदान दल के गठन के संबंध में आवश्यक तैयारी आरम्भ कर ली जावे। मतदान दलों के गठन के संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा निर्देश प्रदान किए हुए हैं। मतदान दलों के गठन हेतु आपको माह नवम्बर, 2019 में संपन्न हुए नगरपालिका आम चुनाव के समय NIC द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया गया था। पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों के गठन में भी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है।

मतदान दलों को दो प्रशिक्षण दिए जाने हैं। प्रथम प्रशिक्षण में पंचायत वृत्त के लिए नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी प्रथम को सम्मिलित किया जाना है। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन मतदान दल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। यदि किसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।


31/8

5. **ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन** – सरपंचों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने हैं। इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोन पर ली गई भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व एवं राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम की FLC के संबंध में निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

माह जनवरी, 2020 में संपन्न हुए पंचायत आम चुनाव में उपयोग में जी गई मशीनों को यदि अभी तक क्लीयर नहीं किया गया है तो उन्हें क्लीयर कर लेवें। ईवीएम को क्लीयर करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4805 दिनांक 25.06.2015 (सां. आ. 109/2015) के द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। जिले में उपलब्ध ईवीएम की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यदि अतिरिक्त ईवीएम की आवश्यकता है तो आयोग को तत्काल सूचित करें ताकि अतिरिक्त ईवीएम का आवंटन किया जा सके। ईवीएम की अतिरिक्त उपलब्धता (Surplus) की सूचना से भी आयोग को तुरन्त अवगत करावें।

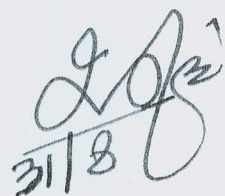
6. **मतपेटियाः**— पंचों के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से कराए जाएंगे। मतदान हेतु मतपेटियाँ जिलों में ही उपलब्ध हैं। इनकी ऑयलिंग/ग्रीसिंग व मरम्मत के संबंध में दिशा निर्देश पत्रांक 4076 दिनांक 17.10.19 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्तानुसार आप द्वारा मतपेटियों को तैयार करवा लिया जाए। अतः आपके जिले में मतपेटियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की जाँच कर लें तथा यदि निर्वाचन हेतु जिले में उपलब्ध मतपेटियों के अतिरिक्त और आवश्यकता हो तो छोटी एवं बड़ी मतपेटियों की पृथक-पृथक संख्या से अवगत करावें। मतपेटियों की अतिरिक्त उपलब्धता (Surplus) की सूचना भी आयोग को अवगत करावें।

7. **मतदान सामग्री**— निर्वाचन हेतु समस्त सामग्री यथा ईवीएम की FLC की सामग्री, मतदान सामग्री, फॉर्मर्स, लिफाफे आदि का वितरण समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को तत्समय किया जा चुका है। आगामी आम चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सामग्री का आकलन कर लेवे। यदि अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो समुचित कारण अंकित करते हुए अपनी मांग से आयोग को अवगत करावें।

अन्य मतदान सामग्री यथा पीठासीन अधिकारी की मुहर, ऐरोक्रॉस सील, काउंटिंग ट्रे इत्यादि की आवश्यकता और अपने भण्डार में उपलब्धता की जाँच कर लें और यदि कोई कमी हो तो, इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9447 दिनांक 16.12.2014 एवं पत्रांक 9451 दिनांक 16.12.2014 के निर्देशानुसार क्रय करने की कार्यवाही करें।

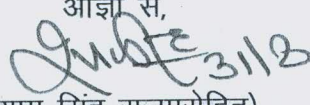
8. **ईवीएम मतपत्र एवं साधारण मतपत्र** — पंच एवं सरपंच के चुनाव हेतु ईवीएम मतपत्र मुद्रण के लिए आयोग के पत्रांक 6130 दिनांक 18.12.2019 तथा पंच एवं सरपंचों के लिए साधारण मतपत्रों के मुद्रण हेतु आयोग के पत्रांक 6104 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से करवाया जाना है। मतपत्रों के मुद्रण हेतु आपके द्वारा निजी मुद्रणालयों का चयन कर लिया गया होगा। यदि अभी तक यह कार्य शेष हैं तो लेखा नियमों के अनुसार शीघ्र ही मुद्रणालयों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज राजकीय मुद्रणालयों से प्राप्त कर आवश्यक तैयारियाँ यथा समय ही पूर्ण कर ली जावे।

9. **प्रशिक्षण** — आगामी आम चुनावों में ECIL का मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण यद्यपि आयोग स्तर पर माह नवम्बर, 2019 में नगरीय निकायों के चुनाव के पूर्व दिया जा चुका है, फिर भी यदि इन मशीनों के



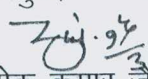
संचालन में कोई कठिनाई हो तो मास्टर ट्रेनर्स की सहायता ली जा सकती है। उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के अतिरिक्त BEL एवं ECIL की एम-2, एमके-4 एवं एमके-5 मॉडल की मशीनें भी उपयोग में ली जाएंगी। यद्यपि इन मॉडल की मशीनों को पूर्व से ही उपयोग में लिया जा रहा है, फिर भी आप अपने स्तर से पूर्व प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चुनाव कार्य में नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों को भली-भांति प्रशिक्षित कर देवे।

10. **बजट** — पंचायतीराज संस्थाओं में पंच एवं सरपंच के शेष रहें इन निर्वाचनों हेतु बजट का आवंटन आपको शीघ्र ही किया जा रहा है।
11. **चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना** — जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी नियुक्त कर लिये जाए। जिला स्तर पर नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारियों के विवरण यथा नाम, पद, पदस्थापन स्थान, कार्यालय दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर की सूचना आयोग को प्रेषित की जाए।
12. **पंचायतीराज निर्वाचनों से संबंधित पुस्तकें** — पंचायतीराज संस्थाओं के माह जनवरी, 2020 में संपन्न हुए आम चुनाव के समय तैयार की गई पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित नियम/अधिनियम की पुस्तिका Manual of Panchayati Raj Election Law, 2020, पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन पुस्तिका 'पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020' (Compendium of Instructions, 2020) एवं पंच/सरपंच के रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिए मतपेटी एवं ईवीएम से चुनाव होने की स्थिति में दोनों के लिए पृथक-पृथक मार्गदर्शिका का वितरण आपको किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/II/6676-80 दिनांक: 31/08/2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक व्यवस्थार्थ प्रेषित हैं:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक सचिव (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. लेखा/स्टोर/कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव